न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
03 / 2023	20.10.2023	25.07.2024

1. रामफूल पुत्र कोरया जाति बैरवा निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला स0मा0।

——प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. मुरारी पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. श्याम पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. देवीलाल पुत्र रामपाल जाति बैरवा निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला स0मा0।
5. भूपेश पुत्र रामपाल जाति बैरवा निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला स0मा0।
6. ललित पुत्र रामपाल जाति बैरवा निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला स0मा0।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री रामजीलाल बैरवा, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः—

   - यह कि प्रार्थी ग्राम खण्डार का गरीब कास्तकार पेशा व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 भी इसी ग्राम खण्डार के निवासी होकर धोक बन्द लठैत व बदमाश किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थी 7 तहसीलदार जी लैण्ड होल्डर तहसील खण्डार है।

   - यह कि प्रार्थी की कब्जे कास्त आराजी खसरा नम्बर 2226 / 582 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा बांके ग्राम खण्डार में स्थित है। जिस पर प्रार्थी के पूर्वजो के समय से ही प्रार्थी का कब्जा कास्त चला आ रहा है।

   - यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता बगैरह के विरूद्ध एक वादपत्र मुकदमा नम्बर 99 / 07 बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जो कि वादी / प्रार्थी के पक्ष में डिक्री किया गया जिसमें खसरा नम्बर 582 की जगह खसरा नम्बर 2226 / 582 नये नम्बर जारी हुये है ।

   - यह कि प्रार्थी सीधा सादा अकेला व्यक्ति होने के कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी को परेशान करते हैं। क्योंकि इसी खसरा नम्बर में से आधा हिस्सा अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के पास है जिसकी सीमा मिली हुई है तथा उक्त जमीन की आड़ में अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 प्रार्थी के कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 2226 / 582 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को भी अपने हिस्से में मिलाना चाहते है इसलिए आये दिन प्रार्थी द्वारा दी गई मेड को तोड़ देते है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.12 14:39:26 IST
Reason: SelfAttested

- यह कि अप्रार्थीगण द्वारा इस वर्ष जुलाई माह में भी प्रार्थी की जमीन हड़पने व अपने खेत में मिलाने के उद्देश्य से प्रार्थी की मेड़ को तोड़कर अपने खेत में मिलाने की कोशिश की जिसके लिए प्रार्थी द्वारा तहसीलदार खण्डार के यहाँ सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार खण्डार द्वारा पटवारी हल्का खण्डार द्वारा सीमाज्ञान करने के आदेश कर सीमाज्ञान करायाया परन्तु सीमाज्ञान के बावजूद भी अप्रार्थीगण अपनी हरकतों से वाज नही आये ओर दिनांक 25.09.2023 को फिर प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमा (मेड) को तोड़ने पर आमादा हो गये इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजी खसरा नम्बर 2226 / 582 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को सुरक्षित रखने के लिए अपने खेत की सीमा पर पत्थर गढ़ी (चिन्हीकरण) करवाना आवश्यक हो गया है। इसलिए यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजिम हुआ।

- यह कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थी के कब्जे कास्त की आराजी खसरा नम्बर 2226/582 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ग्राम खण्डार स्थित खेत की सीमाओ पर पत्थर गढ़ी (चिन्हीकरण) करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

- अतः सेवा में प्रार्थना पत्र धारा 128 राज0 टीनेसी एक्ट स्वीकार कर तहसीलदार खण्डार को खसरा नम्बर 2226/582 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा की सीमाओ पर पत्थर गढ़ी (चिन्हीकरण) करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 09.07.2024 को नो–इन्ट्रेक्सन किये जाने एव अप्रार्थीगणों की ओर से अन्य कोई अधिवक्ता उपस्थित न होने पर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पिता बगैरह के विरूद्ध एक वादपत्र मुकदमा नम्बर 99/07 बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जो कि प्रार्थी के पक्ष में डिक्री किया गया जिसमें खसरा नम्बर 582 की जगह खसरा नम्बर 2226/582 नये नम्बर जारी हुये है। इसी खसरा नम्बर मे से आधा हिस्सा अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के पास है जिसकी सीमा मिली हुई है तथा उक्त जमीन की आड़ में अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 प्रार्थी के कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 2226/582 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को भी अपने हिस्से में मिलाना चाहते है इसलिए आये दिन प्रार्थी द्वारा दी गई मेड को तोड़ देते है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। सेवा में प्रार्थना पत्र धारा 128 राज0 टीनेसी एक्ट स्वीकार कर तहसीलदार खण्डार को खसरा नम्बर 2226/582 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा की सीमाओ पर पत्थर गढ़ी (चिन्हीकरण) करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

4. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली [illegible] का अवलोकन किया गया। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा नम्बर 2226/582 रकबा 0[illegible] भूमि का रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। नक्शा ट्रेस में प्रार्थी [illegible] जमीन पृथक हो रखी है। पटवारी हल्का खण्डार द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट [illegible] की प्रमाणित छायाप्रति से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान [illegible] है। प्रार्थना पत्र अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2226/582 की सीमाएं विवादित [illegible] एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की मेड़ को बार–बार तोड़ा जाना बताया है। सीमाऐं विवादित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2226/582 की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.12 14:39:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2226/582 रकबा 2.02 बीघा वांके ग्राम कस्बा खण्डार के पत्थरगढ़ी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक खण्डार को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक उभयपक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी का खर्चा नियमानुसार प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। पालना हेतु तहसीलदार खण्डार को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.)

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.12 14:39:26 IST
Reason: SelfAttested